International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 26-05-2021, Accepted: 10-06-2021, Published: 25-06-2021
Volume 7, Issue 3, 2021, Page No. 134-139

तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2018: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे
सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, कीर्ति महाविद्यालय, दादर (प.) मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
भारत की तटरेखा पहले से ही समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित है । 2050 तक भारत के तटीय समुद्र के स्तर में अनुमानित 15 और 38 सेमी की वृद्धि से तटीय राज्यों के 5,763 वर्ग किमी संयुक्त क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के जलमग्न होने, बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानी लहरों में वृद्धि होने की संभावना है। नदियों की सदोष जल निकासी क्षमता एवं अनियोजित विनियमन जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचों की वजह से जलवायु प्रभाव का सामना करने के लिए बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं की विफलता तटीय क्षेत्रों की भेद्यता को और बढ़ा देती है। देश के तटीय राज्यों में चरम सीमा की मौसम की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि हुई है; जिसके फलस्वरूप हाल के वर्षों में, भारत के तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई जोखिमों के प्रति अतिसंवेदनशील हो गए हैं। भारत की पहली तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 1991, जिसके द्वारा केंद्र सरकार को 7500 किमी लंबे समुद्र तट के संरक्षण और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, पिछले 27 वर्षों में, दो बार दोहरायी गयी है और 34 बार संशोधित की गयी है। सीआरजेड अधिसूचना भारत के 70 तटीय तथा 66 मुख्य भूमि के जिलों में और 4 द्वीप क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है; जिसकी कुल आबादी लगभग 171 मिलियन है और जो या भारत की आबादी का 14% हिस्सा है । विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों का भविष्य, सीधे तौर पर तटों के स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा तैयारियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक आधुनिकतम 2018 की अधिसूचना का सवाल है; जो तटीय पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को एवं समुद्र जलस्तर वृद्धि के साथ चक्रवात की बढ़ती घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए, केवल आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के एक तरफा उद्देश्य से इसे पारित की गयी है और जो तटीय समूदायों की आजीविका से जुड़े मुद्दों की जगह कॉर्पोरेट जगत के हित की पेशकश एवं वकालत करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अनुसन्धान लेख तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना-2018 की पर्यावरण संरक्षण के प्रति त्रुटियाँ एवं तटीय समुदायों के प्रति उदासीनता को उजागर करता है।

मूल शब्द: तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, समुद्र जलस्तर वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, अंतःज्वारीय क्षेत्र, उच्च ज्वार रेखा, अपतटीय गतिविधियां)

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरुप समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और तापमान बढ़ने पर यह और बिगड़ जाएंगे। समुद्रवर्ती देशों को अपने तटों पर बहुत गंभीर तूफानों और उनके साथ होने वाले प्रभावों की बारम्बारता और तीव्रता में वृद्धि के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित 2018 के पहले के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि, दुनिया के सभी देशों में, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे खराब सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुभव करेगा। इसके प्रभाव तटीय क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र होने की संभावना है, जहां घनी मानव आबादी, उच्च पारिस्थितिक विविधता और असाधारण जैव-भौतिकीय जटिलता अभिमुख होती है। दुनिया के कई तटीय क्षेत्र पहले से ही चरम मौसम की घटनाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। बोफा, हैयान मारिया, हार्वे और इरमा जैसे समुद्री तूफानों ने हजारों की जानें ली हैं और बीमा, पुनर्निर्माण और मरम्मत में सैकड़ों अरबों डॉलर का वित्तीय हानि हुई है।

भारत की तटरेखा पहले से ही समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित है जो 1950 के दशक से प्रति वर्ष 2.5 मिमी की दर से बढ रही है। 2050 तक भारत के तटीय समुद्र के स्तर में अनुमानित 15 और 38 सेमी की वृद्धि

से तटीय राज्यों के 5,763 वर्ग किमी संयुक्त क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के जलमग्न होने, बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानी लहरों में वृद्धि होने की संभावना है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से महज 1 मीटर भूमि क्षेत्र का नुकसान होने से गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्य सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुंबईसे लेकर ओडिशा के बालेश्वर जिले के तटीय बुनियादी ढांचे के लिए अनुमानित आर्थिक लागत क्रमशः 2287 अरब रूपयों से लेकर 3.6 अरब रुपये तक है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बुनियादी ढांचे और आवास पर जलवायु से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं से नुकसान की लागत 3,65,860 करोड़ रुपये या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। नदियों की सदोष जल निकासी क्षमता एवं अनियोजित विनियमन जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचों की वजह से जलवायु प्रभाव का सामना करने के लिए बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं की विफलता तटीय क्षेत्रों की भेद्यता को और बढ़ा देंगे। हाल ही में फनी, निसर्ग, ताउते जैसे तीव्र और बारंबार होने वाले चक्रवातों के साथ-साथ भीषण बाढ़ ने देश के तटीय राज्यों चरम सीमा की मौसम की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि हुई है। भारत के तटीय बुनियादी ढांचे की अत्यधिक जलवायु-संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, सवाल यह है कि क्या भारत का तटीय ढांचा इन जलवायु परिवर्तन-प्रेरित घटनाओं के प्रभावों का सामना करने के लिए सुसज्जित है या नहीं? क्या तटीय पारिस्थितिक तंत्र में सामना करने और ठीक होने की क्षमता है?

भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तटीय क्षेत्र में गतिविधियों के नियमन के लिए पहली बार फरवरी 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार, उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और ज्वारीय उतार-चढ़ाव के अधीन खाड़ियों, लैगून, बैकवाटर और नदियों के किनारे से 100 मीटर के क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) कहा जाता है। उपरोक्त अधिसूचना में केवल अंतर-ज्वारीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र का भूमि भाग शामिल है और इसमें महासागरीय भाग शामिल नहीं है। भारत की यह पहली तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 1991, जिसमें केंद्र सरकार को 7500 किमी लंबे समुद्र तट के संरक्षण और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। जलवायु परिवर्तन संबंधी अक्टूबर 2018 के एक अध्ययन में पूर्वानुमान किया गया कि 2050 तक समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण 36 मिलियन भारतीयों को तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, शहरीकरण बाढ़ की चोटियों को आठ गुना और बाढ़ की मात्रा को छह गुना तक बढ़ा सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अगस्त 2019 में जारी एक अनुसंधानपत्र के अनुसार, समुद्र के करीब अत्यधिक विकास की अनुमति देने से तटीय बुनियादी ढांचे और तटीय आबादी की अरक्षितता के लिए जोखिम बढ़ जाएगा।

परिकल्पना

तटीय पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को एवं समुद्र जलस्तर वृद्धि के साथ चक्रवात की घटनाओं की बढ़ती तीव्रता एवं बारंबारता को नजरअंदाज करते हुए, केवल आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के एक तरफा उद्देश्य से तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दी गयी है जो तटीय समूदायों की आजीविका से जुड़े मुद्दों की जगह कॉर्पोरेट जगत के हित की पेशकश करती है।

क्रिया-विधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण के दायरें में (कंटेंट एनालिसिस) असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक विश्लेषण है।

विचार विमर्श

भारत का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का अनुच्छेद 5 केंद्र सरकार को कुछ उद्योगों या संचालन के स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। यह अधिनियम एक छत्र कानून है जिसे अन्य कानूनों या अधिनियमों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के केंद्र सरकार के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी प्रावधान के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने 1991 की सीआरजेड अधिसूचना के पहले संस्करण के बाद 2011 और 2018 की पुनरावृत्तियों जैसे कानून जारी किए। इस अनुच्छेद का उप-अनुच्छेद (3) निर्दिष्ट करता है कि सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों को ला सकता है। तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 1991 में स्थानीय समुदायों के जीवन और संपत्ति और तटीय क्षेत्रों के साथ बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अगले पांच वर्षों में सीमांकित की जाने वाली

एक 'जोख़िम या खतरा (हैजर्ड) रेखा' की अवधारणा पेश की गई थी। 2004 की सुनामी के बाद, जिसमें पूर्वी तट पर 10,000 लोग मारे गए थे, सीआरजेड अधिसूचना के 2011 संस्करण को तटीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया था। लेकिन वक्त जे साथ, सीआरजेड का संरक्षण से अधिक उल्लंघन किया गया है। वास्तव में, पिछले 27 वर्षों में, अधिसूचना को दो बार दोहराया गया है और 34 बार संशोधित किया गया है, जिससे यह भारत के इतिहास में सबसे संशोधित कानून बन गया है।

हालांकि, भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा सुनामी और चक्रवात के लिए चेतावनी प्रणाली की स्थापना शुरू की थी, फिर भी, आपदाओं से होने वाली तबाही के संचयी प्रभावों और सीआरजेड के अनुचित कार्यान्वयन को देखते हुए, वैज्ञानिकता के आधार पर नियामक दृष्टिकोणों को संशोधित करने और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, 2011 में सीआरजेड अधिसूचना में संशोधन जारी करने की तत्काल आवश्यकता थी। सीआरजेड 2011 अधिसूचना एक सुशासन के साधन के रूप में उर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दृष्टिकोण को प्रोन्नत करने वाली नीतियों की सूची में एक नया परिवर्धन है जिसनें तटीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और कई समुदाय आधारित क्षेत्रीय परियोजनाओं में हितधारकों की भागीदारी बढ़ाकर देश ने अपनी क्षमता को मजबूत किया है।

सीआरजेड अधिसूचना- 2018

इस अधिसूचना में गंभीर रूप से भेद्य या संवेदनशील तटीय क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नदीमुख भूमि (डेल्टा) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पहचाने जाने वाले अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे गुजरात में खंभात और कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में मालवण, आचरा-रत्नागिरी, कर्नाटक में कारवार और कूंडापुर, केरल में वेम्बनाड, तमिलनाडु में मन्नार, ओडिशा में भितरकनिका और आंध्र प्रदेश में कृष्णा को गंभीर संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के रूप में माना गया है। इन महत्वपूर्ण अतिसंवेदनशील तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन मछुआरों सहित तटीय समुदायों की भागीदारी से किया जाने का प्रावधान है। 2011 का मसौदा तैयार करने से पहले हितग्राही समूहों के साथ जन सुनवाई और परामर्श की विस्तृत श्रृंखला बनाई गई थी; लेकिन 2018 के सीआरजेड कानून के मसौदे पर की गई हितग्राही समूहों के आपत्तियों में से 90% की अनदेखी की गयी है। मछुआरों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कानून को अंतिम रूप देने से पहले कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया। सरकार ने तटीय समुदायों के लिए 'बेहतर जीवन' के वादे के रूप में नई सीआरजेड 2018 अधिसूचना पेश की, जो देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यवर्धन करेगी। किन्तु अनुसंधानकर्ताओं और तटीय समुदायों के समूहों के मसौदे पर किये गए विभिन्न सिफारिशों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया है । 2018 की अधिसूचना के खिलाफ किए गए 3,833 अभिवेदनों में से 2,000 से अधिक मछुआरे समूहों से थे, जिनमें से सभी ने मसौदे को खारिज कर दिया। प्रारूप (ड्राफ्ट) पर टिप्पणियों का संकलन दिखाता है कि शैलेश नायक समिति ने मछुआरों की सलाह पर गौर नहीं किया है। मसौदा स्थानीय भाषा में प्रकाशित नहीं किया गया यह समझते हुए की कितने मछुआरे साक्षर हैं? और कितने अंग्रेजी या हिंदी समझ सकते हैं? जनता की प्रतिक्रियाओं के लिए मसौदा दो महीने के लिए खुला था। सूचना का अधिकार आवेदन के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला की मंत्रालय को 3,833 अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,469 मसौदे पर आपत्तियां थी।

वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्र तट को खोल देने वाली इस नई अधिसूचना पर मछुआरों और पर्यावरणविदों के समूहों ने विभिन्न आधार पर कई आपत्ति जताई है। जैसे तटीय समुदायों, विशेषकर मछुआरों के साथ कोई पूर्व परामर्श नहीं किया गया है और प्रतिबंधों को हटाना तटीय पर्यावरण और इससे जुड़े रहने वाले पारंपरिक समुदायों के लिए विनाशकारी होगा। और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से वे प्राकृतिक खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। मछुआरे समूहों के अलावा, तटीय शासन में एक अन्य प्रमुख सक्रियक को समीक्षा प्रक्रिया से बाहर रखा गया था - राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण। जब कि यह निकाय अपने-अपने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीआरजेड अधिसूचना को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे तटीय प्रबंधन योजनाओं की तैयारी का समन्वय करते हैं, परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं, सीआरजेड उल्लंघनों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण के लिए उपाय करते हैं। इसके अलावा अब केवल ऐसी परियोजनाएं जो सीआरजेड-I (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र) और सीआरजेड-IV (निम्न ज्वार रेखा और समुद्र की ओर 12 समुद्री मील के बीच का क्षेत्र) में स्थित हैं, को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सीआरजेड मंजूरी के लिए निपटा जाएगा। सीआरजेड-II और III के संबंध में मंजूरी के अधिकार राज्य स्तर पर प्रत्यायोजित किये गए हैं। मंत्रालय ने

मसौदे को राजपत्र (गजेट) में प्रकाशित नहीं किया। सार्वजनिक परामर्श के परिणाम कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी हैं, लेकिन अगर सीआरजेड 2018 अधिसूचना का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था, तो यह पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन है।

2004 के हिंद महासागर में सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एक तटीय खतरा (हैजर्ड) रेखा की स्थापना की गई थी। तटीय उच्च भू-क्षरण और भेद्यता के क्षेत्र में, विकास को विनियमित करने के लिए देश भर में वैज्ञानिक या पारदर्शी रूप से खतरे की रेखा को विकसित करने के कुछ प्रयास 2011 की अधिसूचना में किए गए थे। जुलाई 2018 में, जनता से परामर्श किए बिना खतरे की रेखा को मुख्य विनियमन से हटा दिया गया। नई 2018 अधिसूचना में, साथ ही, एक खतरे की रेखा के सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं और इसे एक निश्चित सेटबैक लाइन के साथ बदल दिया गया है।

2011 की अधिसूचना के अनुसार सीआरजेड-I में मैंग्रोव, प्रवाल (मूँगा) चट्टान और रेत के टीलों और अंतःज्वारीय क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से सबसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। यह सुरक्षा (डिफेंस), सामरिक या कुटनीतिक और दुर्लभ सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को छोड़कर पर्यटन गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निषिद्ध था। 2018 की नवीनतम अधिसूचना सीआरजेड-I को और वर्गीकृत करती है। यह सीआरजेड-IA के रूप में निर्धारित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में 'इको-टूरिज्म' गतिविधियों जैसे - मैंग्रोव वॉक, ट्री हट्स, नेचर ट्रेल्स आदि की अनुमति देता है। सीआरजेड-IA में समुद्री लिंक, नमक संचयन और विलवणीकरण (डिसैलिनेशन) संयंत्र और पैरबाँसा (स्टिल्ट) पर सड़कों की भी अनुमति है। विवादास्पद भूमि सुधार (रेक्लेमेशन), जिसमें नई भूमि महासागरों या झील के सतह से बनाई गई है और तटीय पारिस्थितिकी पर जिसका भारी प्रभाव पड़ता है, बंदरगाहों और समुद्री लिंक के लिए ऐसे अंतःज्वारीय या सीआरजेड-IB क्षेत्रों में इनको अनुमति दी गई है। रेत के टीले और मैंग्रोव चक्रवात और तूफानी लहरों के खिलाफ बहुत जरूरी अघात-भंजक के भाँती कार्य करते हैं। फिर भी पर्यावरणीय पर्यटन निर्माण और गतिविधियों को अब संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति दी गई है, जैसे कि रेत के टीलों में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (rare earth) के लिए खनन और संवेदनशील अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में अपशिष्ट (waste) उपचार इत्यादि। 1991 में सीआरजेड अधिसूचना का मसौदा तैयार करते समय तटीय समुदायों की सुरक्षा और आजीविका को प्राथमिकता दी गई थी। सूनामी के बाद स्थापित की गई एम. एस. स्वामीनाथन कमेटी ने उन समुदायों के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 की तर्ज पर भूमि अधिकार मान्यता कानून का सुझाव दिया, जो प्रथागत (कस्टमरी) अधिकारों के तहत तटीय क्षेत्रों पर आधारित समुदायों अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन वह सुझाव कभी लागू नहीं किया गया था, और अब उनके अनिश्चित फ़ितरत के प्रथागत अधिकार उन्हें पर्यटन और अन्य विकास के लिए रास्ता बनाने के के ख़ातिर आसानी से त्याग ने को कहते हैं।

2011 की अधिसूचना के विपरीत, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि तटीय समुदायों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधि को विनियमित नहीं किया जाएगा, नई अधिसूचना उन्हें विनियमित श्रेणी में रखती है। सीआरजेड-III क्षेत्र में रहने वाले पारंपरिक समुदाय प्राकृतिक संसाधनों उदरनिर्वाह करते हैं। स्थानीय समुदायों की आजीविका पर नए प्रावधान का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर ध्यान न देते हुए अधिसूचना ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीआरजेड-III क्षेत्रों में भूमि उपयोग को बदल दिया है। पूर्व अधिसूचनाओं (सीआरजेड अधिसूचना 2011) के तहत, सीआरजेड-III में होटल और बीच रिसॉर्ट्स की अनुमति भी दी गई थी, जो अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्र सीआरजेड-I या II के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन उनके निर्माण को 'ना-विकास' (नो डेवलपमेंट) क्षेत्र के सीआरजेड-III में निषिद्ध किया गया था, जो उच्च-ज्वार रेखा से जमीन की तरफ 200 मीटर तक की सीमा तक बढ़ाता है। नवीनतम अधिसूचना में सीआरजेड-III (ग्रामीण) क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया गया है। सीआरजेड-IIIA: 2011 की जनगणना के अनुसार सीआरजेड-III क्षेत्रों की एक श्रेणी घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसका जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा से 50 मीटर का नो डेवलपमेंट ज़ोन है, जबकि सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में निर्धारित उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर की दूरी पर है। और सीआरजेड-IIIB - सीआरजेड-III ग्रामीण क्षेत्रों की B श्रेणी का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ऐसे क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन होता है। यह तकनीकी रूप से रिसॉर्ट्स, होटल और पर्यटन सुविधाओं को उच्च-ज्वार रेखा के लिए सही बनाने की अनुमति देता है। समुद्र तट से केवल 50 मीटर की दूरी से आवास की सुविधा प्रदान करना निवासियों को गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए अनाश्रय (एक्सपोज़)

करेगा, वह भी बिना किसी आघात-भंजक (बफर) के। सीआरजेड, 2011 की अधिसूचना के अनुसार, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो को फ्रीज कर दिया गया था। सीआरजेड- 2018 अधिसूचना में, सरकार ने फ्लोर स्पेस इंडेक्स को डी-फ्रीज करने और निर्माण परियोजनाओं के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स को अनुमति देने का निर्णय लिया। मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे घनी आबादी वाले आपदा संभावित शहरी क्षेत्रों में इमारतों के लिए उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो के लिए अधिसूचना की अनुमति है। यह अधिक अचल संपत्ति, होटल और समुद्र तट रिसॉर्ट्स के लिए रास्ता बना देगा, और अधिक जीवन और संपत्ति को चरम सीमा के मौसम की स्थिति के खतरे में डाल देगा। सीआरजेड-IV, जिसमें 12 समुद्री मील तक फैला तटीय जल की उथला (शैलो) बेल्ट शामिल है, न केवल छोटे मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण मछली पकड़ने का क्षेत्र है, जो तेल की खोज, खनन और शिपिंग जैसी अपतटीय (ऑफशोर) गतिविधियों से कूड़ेकचरे का अधिकतम खामियाजा भी उठाता है। इस लिये 2011 की अधिसूचना ने इस तरह की अपतटीय गतिविधियों से प्रदूषण के नियमन पर महत्व दिया था। इस विनियमन को अधिक मजबूत करने के बजाय, 2018 की अधिसूचना बंदरगाहों (पोर्ट /हार्बर) और सड़कों की स्थापना के लिए भूमि सुधार; उपचारित विसर्जक (डिस्चार्ज) के निर्वहन के लिए सुविधाएं; संकट जनक पदार्थों का स्थानांतरण और स्मारकों या स्मारक चिन्हों का निर्माण की अनुमति देती है। चिंताजनक एवं तकलीफ़देह बात यह है कि इस तरह के बढते हुए एकतरफा विकास या तटीय समुदायों पर इस तरह के बदलाव के प्रस्तावित प्रभाव को समायोजित करने के लिए तटीय क्षेत्रों की वहन या पालन क्षमता को दिखाने के लिए कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। सीआरजेड 2018 तटीय जिलों में रहने वाली 171 मिलियन या 14% आबादी की चिंताओं को अनदेखा या उनकी उपेक्षा करता है । इनमें से 12 मिलियन से अधिक आबादी मछली पकड़ने पर निर्भर हैं।

उपसंहार

तटों की पारिस्थितिक सेवाओं जैसे जल संतुलन के रखरखाव, क्षरण पर नियंत्रण और अपशिष्ट प्रसंस्करण को शामिल किया जाता है, तो तटीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य और तन्यकता (रिजिलिअन्स) को सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीआरजेड अधिसूचना भारत के 70 तटीय तथा 66 मुख्य भूमि के जिलों में और 4 द्वीप क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है; जिसकी कुल आबादी लगभग 171 मिलियन है और जो या भारत की आबादी का 14% हिस्सा है । उनका भविष्य, विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों का, सीधे तौर पर तटों के स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अधिसूचित क्षेत्र में सभी विकास कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करके पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के साथ सीआरजेड विनियमों को संरेखित (aligned) करने की आवश्यकता है। सीआरजेड-III -2018 अधिसूचना का मसौदा 2011 के सीआरजेड कानून की समीक्षा के लिए स्थापित शैलेश नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर शीर्ष-पाद (टॉप-डाउन) नियामक दृष्टिकोण से बनाया गया है; जो भले सतत विकास, सतत आजीविका, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संसाधनों जैसी शब्दावली का उपयोग करता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों का विवरण देने में विफल है।

बाढ़, चक्रवात और तूफान जैसी चरम प्रलयकारी घटनाओं के प्रभावों का सामना करने के वास्ते तटीय राज्यों को सज्जित करने के लिए जलवायु-लचीला (प्रत्यास्थी) बुनियादी ढांचे और सेवाओं का निर्माण करना अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तिता और चरम मौसम की घटनाएं तेजी से जलवायु- निरूध्द दुनिया में नया सामान्य होती जा रही हैं, ऐसी स्थिति में भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने बुनियादी ढांचे को जलवायु-लचीला या प्रत्यास्थी (resilient) बनाने में निवेश करे, अगर उसे अब तक हासिल किये गये विकास लाभ की रक्षा करनी है। औद्योगिक विस्तार के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में व्यापक विनाश हुआ है, इसी कारण भारत में आपदा तैयारी की निष्पादन के लेखापरीक्षण ने सीआरजेड अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कड़ी आलोचना की है।

संदर्भ सूची

1. कृष्णमूर्ति आर. आर., दासगुप्त राजर्षि एंड *एट. अल.* (2014) मैनेजिंग दी इंडियन कोस्ट इन दी फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज: अ रिव्हिव एंड एनालेसिस ऑफ इंडियाज कोस्टल झोन मैनेजमेंट पॉलिसीज *जर्नल ऑफ कोस्टल कंझरवेशन* DOI: 10.1007/s11852-014-0339-7
2. रॉय अपर्णा (12th अगस्त 2019) मेकिंग इंडियाज कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रिजिलियन्ट: चैलेंजेस एंड ऑपरट्यूनिटीज *ऑब्ज़र्वर रिसर्च*

फाउंडेशन https://www.orfonline.org/research/making-indias-coastal-infrastructure-climate-resilient-challenges-and-opportunities-54330/?amp#_edn12
3. कपूर मिनाक्षी (29 फरवरी 2020) इंडियाज कोस्टल रेगुलेशन लॉ इग्नोर्ड 90% ऑफ दी ऑब्जेक्शन मेड टू दी ड्राफ्ट. Spend.com https://www.google.com/amp/s/amp.scroll.in/article/954402
4. बायरावन सुजाता एवं श्रीधर आरती (23rd जनवरी 2019) बरिड इन दी सँड़स. *दी हिंदू.*
5. कुकरेती ईशान (4 फरवरी 2019) कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन : व्हाट डेवलोपमेन्ट आर वी क्लियरिंग अवर कोस्ट फ़ॉर *डाउन टू अर्थ* https://www.downtoearth.org.in/coverage/governance/amp/coastal-regulation-zone-notification-what-development-are-we-clearing-our-coasts-for-63061